महाविद्यालय विकास परिषद की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त
दिनांक 28 सितंबर 2015, सुबह 11:00 बजे

महाविद्यालय विकास परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 28 मई 2015 को सुबह 11:00 बजे कुलपति के कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक के में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहें:

1.	प्रो. टी.बी. सुब्बा कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग दीं, जीवन विज्ञान विद्यापीठ	-	सदस्य
3.	प्रो. इरशाद गुलाम अहमद डीन, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ	-	सदस्य
4.	डॉ. धनीराज डीन, छात्र कल्याण	-	सदस्य
5.	डॉ. लिली एली प्राचार्य, सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग	-	सदस्य
6.	डॉ. सुजाता बस्नेत प्राचार्य (प्रभारी), सिक्किम सरकारी महविद्यालय, रिनॉक	-	सदस्य
7.	डॉ. रबींद्र छेत्री प्राचार्य (प्रभारी), सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, ग्यालशिंग	-	सदस्य
8.	डॉ. पी.के. मिश्रा प्राचार्य, डंबर सिंह महाविद्यालय, तादोंग	-	सदस्य
9.	डॉ. संध्या राई प्राचार्य, लोयोल शिक्षा महाविद्यालय, नामची	-	सदस्य
10.	श्री टी.के.कौल कुलसचिव	_	सचिव

डॉ. देवाशीष चौधुरी, परीक्षा नियंत्रक बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लिया। डॉ. सुरेश गुरुंग, उप कुलसचिव (शैक्षणिक) परिषद को सहायता प्रदान करने के लिए उपस्थित थे।

अध्यक्ष ने महाविद्यालय विकास परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया और नए सदस्य का परिचय कराया, जिन्हें हाल ही में लोयोला शिक्षा महाविद्यालय, नामची के प्राचार्य के रूप में नियुक्ति दी गयी है। इसके बाद एजेंडा में उल्लेखित विषयों की चर्चा शुरू की गई।

खंड – 1

बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं कार्रवाई रिपोर्ट

सीडीसी.4.1.1: दिनांक 21 मई 2015 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 21 मई 2015 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की तीसरी बैठक के कार्यवृत्त को सभी सदस्यों को प्रसारित किया गया था। चूंकि किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी नहीं मिली, इसलिए 21 मई 2015 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की तीसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

सीडीसी.4.1.2: दिनांक 21 मई 2015 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

अध्यक्ष ने सचिव को महाविद्यालय विकास परिषद की तीसरी बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। इसके बाद सचिव द्वारा कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार बाहरी परीक्षकों को मानदेय के भुगतान पर टिप्पणी करते हुए महाविद्यालयों के प्राचार्यों से अनुरोध किया गया था कि वे उसी पर एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

बीए-एलएलबी पाठ्यक्रम के नवीकरण के संदर्भ में सचिव ने बताया कि भारतीय अधिवक्ता परिषद ने नवीकरण के लिए निरीक्षण शुल्क राशि को रु. 1,00,000/- से रु. 1,50,000/- तक बढ़ा दिया है। रु. 50,000/- की अतिरिक्त राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से दिनांक 22.09.2015 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली को भेजा गया था।

इसके अलावा, अस्थायी संबद्धता के अनुदान के के संदर्भ मेन सचिव ने सूचित किया कि महाविद्यालय के प्राचार्य के निवेदन पर सिक्किम सरकार महाविद्यालय, नामची के नाम को 'नामची सरकारी महाविद्यालय, कामरंग, दक्षिण सिक्किम' के रूप में संशोधित किया गया था और इसके लिए दिनांक 26.08.2015 को कार्यालय आदेश सं 182/2015 द्वारा एक शुद्धि पत्र जारी किया गया था।

खंड – 2

सूचनात्मक विषय

सीडीसी 4.2.1 सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, रिनॉक में मनोविज्ञान में स्नातक पाठ्यक्रम का प्रारम्भ

अध्यक्ष ने सूचित किया कि सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, रिनॉक को वर्ष 2014 में मनोविज्ञान में बीए/बीएससी और कंप्यूटर विज्ञान में बीएससी के नए पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, महाविद्यालय ने 2014 में पाठ्यक्रम शुरू नहीं किया। एचआरडीडी, सिक्किम सरकार ने दिनांक 22.06.2015 की पत्र संख्या जीसीआर/2013-14/604 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2015-16 से सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, रिनॉक में इन दो पाठ्यक्रमों को शुरू करने की इच्छा व्यक्त की गई थी। इसे

देखते हुए विश्वविद्यालय ने महाविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2015-16 से मनोविज्ञान में बीए/बीएससी पाठ्यक्रम शुरू करने और इसके बाद कंप्यूटर विज्ञान में बीएससी पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी। सचिव ने सूचित किया कि बी.एससी पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम विवरणिका तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई थी और उसे अनुमोदन हेतु एक अलग एजेंडा विषय के रूप में रखा गया था।

सीडीसी 4.2.2 पूर्वोत्तत क्षेत्र के छात्रों के लिए ईशान उदय छात्रवृत्ति

अध्यक्ष ने सूचित किया कि सभी संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया गया था कि वे उन छात्रों को सत्र 2015-16 के लिए ईशान उदय छात्रवृत्ति के लिए आवदेन करने के लिए प्रोत्साहित करें जिन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्कूलों से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की है और जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है। यह भी बताया गया कि छात्रवृत्ति की राशि सामान्य डिग्री पाठ्यक्रम के लिए रु.3,500/- से रु. 4,500/- तक और चिकित्सा और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों सहित तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए से रु. 4,500/- से रु. 5,500/- तक बढ़ा दी गई थी। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 30 सितंबर 2015 तक बढ़ा दी गई है।

महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने सूचित किया कि आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जारी थी और 30 सितंबर 2015 के बाद ही आवेदकों पर रिपोर्ट दे पाएंगे। सिक्किम सरकारी महाविद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि गैर-न्यायिक स्टांप पेपर की अनुपलब्धता के मद्देनजर छात्रों ने सादे कागज पर रु. 50/- के स्टैम्प चिपकाकर शपथ पत्र जमा किया।

सीडीसी 4.2.3 सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग में शैक्षणिक सत्र 2015-16 से 5 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का प्रारम्भ

अध्यक्ष ने बताया कि सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग में पाच विषय जैसे भौतिकी, गणित, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और इतिहास में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के एचआरडीडी, सिक्किम सरकार के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने यूजीसी के मानदंडों के अनुसार एक निरीक्षण समिति का गठन किया, जो जल्द ही विश्वविद्यालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा अध्यक्ष ने आगे यह भी बताया कि एक कालीन अपवाद के रूप में जो भविष्य में मिसाल के तौर पर नहीं बताया जाएगा, शैक्षणिक सत्र 2015-16 से सिक्किम सरकारी महाविद्यालय में सख्ती से एक विस्तारित केंद्र चलाने के लिए भौतिकी (15), गणित (15), अर्थशास्त्र (20), अंग्रेजी (20) और इतिहास (20) में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए दिनांक 24.08.2015 को एचआरडीडी, सिक्किम सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग में विश्वविद्यालय के विस्तार केंद्र में निर्धारित सेवन के साथ 5 विषयों में पीजी कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति देने के लिए कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को सीडीसी द्वारा अनुमोदित किया गया और शैक्षणिक परिषद की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई। सिक्किम विश्वविद्यालय और एचआरडीडी, सिक्किम सरकार के बीच समझौते को भी सीडीसी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

खंड – 3
अनुसमर्थन से संबन्धित विषय

सीडीसी 4.3.1 हिमालयन फार्मेसी इंस्टीट्यूट, माझीटार में सत्र 2015-16 में बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी.फार्मा) पाठ्यक्रम में प्रवेश को 60 सीटों से 100 सीटों तक बढ़ाना

शैक्षणिक सत्र 2015-16 से हिमालयन फार्मेसी इंस्टीट्यूट, माझीटार में बैचलर ऑफ़ फ़ार्मेसी (बी.फार्मा) में फार्मेसी काउंसिल ऑफ़ इंडिया (पीसीआई) के अनुमोदन पर सीटों की संख्या 60 से 100 तक बढ़ाने में कुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई को सीडीसी द्वारा अनुमोदित किया गया और शैक्षणिक परिषद की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई।

सीडीसी 4.3.2 हर्कमाया शिक्षा महाविद्यालय, सामदुर, तादोंग में मास्टर ऑफ एजुकेशन (एमएड) पाठ्यक्रम में प्रवेश को मौजूदा 35 सीटों से 50 सीटों तक बढ़ाना

हर्कमाया शिक्षा महाविद्यालय, सामदुर, तादोंग में शैक्षणिक सत्र 2015-16 से मास्टर ऑफ एजुकेशन (एमएड) पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (पूर्वी क्षेत्रीय समिति) के अनुमोदन पर मौजूदा कुल 35 सीटों से 50 तक सीटें बढ़ाने में कुलपति द्वारा कार्रवाई पर परिषद द्वारा अनुसमर्थित किया गया और शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन हेतु सिफारिश की गई थी।

खंड – 4
विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ विषय

सीडीसी.4.4.1: बी.एससी. कंप्यूटर विज्ञान के लिए पाठ्यक्रम विवरणिका

अध्यक्ष ने बताया कि सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, रिनॉक को वर्ष 2014 से कंप्यूटर विज्ञान में बीए/बीएससी के नए पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी गई थी। महाविद्यालय ने 2014 में पाठ्यक्रम शुरू नहीं किया था। शैक्षणिक सत्र 2015-16 से पाठ्यक्रम शुरू करने के संबंध में एचआरडीडी, सिक्किम सरकार के निर्णय के मद्देनजर विश्वविद्यालय ने सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, रिनॉक को 2015-16 सत्र से मनोविज्ञान में बीए/बीएससी पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी है, क्योंकि विश्वविद्यालय में विषय के लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध था।

यह सूचित किया गया कि चूंकि बीएससी, कंप्यूटर विज्ञान के लिए कोई पाठ्यक्रम विवरणिका नहीं थी, विश्वविद्यालय ने सिलेबस का मसौदा तैयार करने के लिए डॉ. सुबीर मुखोपाध्याय, डीन भौतिक विज्ञान विद्यापीठ, सिक्किम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।

बी.एससी कंप्यूटर विज्ञान का पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम विवरणिका अनुलग्नक - 4 में रखे गए, जिस पर परिषद द्वारा चर्चा की गई और शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन के लिए सिफारिश की गई।

खंड – **5**

अध्यक्ष की ओर से विषय

सीडीसी 4.5.1: सिक्किम सरकारी बी.एड महाविद्यालय, सोरेंग, पश्चिम सिक्किम और सिक्किम सरकारी विधि महाविद्यालय, लोवर बुर्तुक, गंगटोक में छात्रों का प्रवेश

अध्यक्ष ने सूचित किया कि दोनों महाविद्यालयों ने नियामक प्राधिकारियों के अनुमोदन के बिना और विश्वविद्यालय की सहमति के बिना छात्रों की निर्धारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश दिलाया हैं। विश्वविद्यालय को इसके बारे में तब तक जानकारी नहीं थी जब तक एचआरडीडी, सिक्किम सरकार ने संबद्धता के लिए नहीं लिखा था। अध्यक्ष ने बताया कि सबसे पहले एचआरडीडी, सिक्किम सरकार को सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए एनसीटीई और बीसीआई जैसे नियामक अधिकारियों से अनुमति लेने के लिए कहा गया था और इसके बाद संबद्धता के लिए विश्वविद्यालय में आवेदन करना चाहिए था।

यह निर्णय लिया गया कि यदि इन महाविद्यालयों को प्रवेश बढ़ाने के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रहे, तो विश्वविद्यालय दोनों मामलों में केवल अधिकृत छात्र संख्या के लिए ही केवल परीक्षा आयोजित करने के लिए बाध्य होगा।

परिषद ने आगे निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय निम्नलिखित दो मुद्दों पर एचआरडीडी, सिक्किम सरकार को पत्र लिया जाए :

1. भ्रम से बचने के लिए एचआरडीडी, सिक्किम सरकार द्वारा स्थापित और अनुरक्षित कॉलेजों का स्पष्ट/पृथक नाम देना।
2. नियामक प्राधिकरणों और विश्वविद्यालय के अनुमोदन के बिना बी.एड और बीए-एलएलबी पाठ्यक्रमों में प्रवेश सीटों को न बढ़ाया जाएँ, ताकि नियमों के बारे में अनभिज्ञ छात्रों के लिए कोई कठिनाई न हो।

सिक्किम सरकारी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा रखे गए एक सवाल के जवाब में यह कहा गया कि क्या उन्हें महाविद्यालय में नए शुरू किए गए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की संबद्धता के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है, अध्यक्ष ने उन्हें आवेदन करने और एचआरडीडी, सिक्किम सरकार के अनुरोध पर इसी उद्देश्य से विधिवत रूप से गठित निरीक्षण समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा।

स्नातक परीक्षा के लिए प्रश्नपत्रों के मानक बनाए रखने के मुद्दे, प्रश्न पत्र सेटर से प्रश्नों की प्राप्ति में देरी, कुछ विषयों के लिए विषय विशेषज्ञों की अनुपलब्धता आदि जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। परिषद ने विचार-विमर्श के बाद सिक्किम विश्वविद्यालय में यूजी पाठ्यक्रमों के लिए **प्रश्न बैंक** का प्रावधान करने का फैसला लिया और शैक्षणिक परिषद की मंजूरी के लिए इसकी सिफारिश की।

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

हस्ता/-
(टी.के.कौल)
कुलसचिव एवं सचिव
महाविद्यालय विकास परिषद

हस्ता/-
(टी.बी.सुब्बा)
कुलपति एवं अध्यक्ष
महाविद्यालय विकास परिषद